

Sess. Case : 233092

State of Madhya Pradesh

V/s

Chandrakant Shah & others ... Accused.

Application on behalf of Chattisgarh Mukti Morch  
Praying for decorum in the precincts of the  
Court room during the trial.

*a. J. H. of  
M.P. H. H.  
M.P. H. H.  
6-6-95*

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR

1. The above matter is being heard before this Hon'ble Court.
2. That from 7.7.93 to 31.1.95 the proceedings were held in camera. The overbearing presence of the accused persons was apparent during those days. It was under those conditions that the applicants filed a petition before the Hon'ble High Court asking for an trial in Open Court. The Hon'ble High Court vide its order dated 17.2.95 in W.P. 152 of 1995 directed that the trial be held in Open Court.
3. That the purpose of having Open Court is that justice is administered in the interest of all and the highest in the land together with the lowest may enter the temples of justice without hesitation and with prayerful humility. This point has been made in case after case by the Supreme Court and in all courts of democratic countries.

*Recd. Copy  
Durg  
for Chandrakant  
Shah*

*signed I  
Copy  
for 5 Accused*



That it is indeed strange that the trial of a legendary trade union leader such as Shaheed Shankar Guha Neogi was held in camera at all.

4. That members and supporters of Chhatisgarh Mukti Morcha have been attending the trial and have a right to sit and watch the proceedings to have access to the place of trial. However, it is unfortunate that from the beginning the Presiding Judge has allowed the accused to sit along with the advocates on the bench instead of the making them sit in their appropriate place.
5. That this Hon'ble Court had passed an order on 31.1.95 giving permission to the accused to sit. However, this does not include the right of the accused to sit with the lawyers and the general public.
6. That the accused have been allowed to address the court directly by shouting out comments, and have been seen chewing tobacco, passing around sweat-meats, coconut and money.
7. That on May 23, 1995 the members of Chhatisgarh Mukti Morcha came to attend the trial. They were rudely made to get up from the benches and the persons accused of murder of Comrade Neogi were given their seats.
8. That the Applicant submits the following six affidavits :-
  - a) Smt Sumrit Bai
  - b) Shri Ram Bharose
  - c) Smt Urmila Bai
  - d) Smt Mana Bai
  - e) Smt Dulari Bai

Stating how deeply distressed they have been at the way the proceedings have been conducted and whether it is a reflection of a bias of the legal system to treat the workers and revolutionaries with such contempt and criminals with such respect.

9. That it is respectfully prayed that this Hon'ble court make arrangements for more benches for the public and direct that the accused sit in their proper place and maintain proper decorum.

*Nainal Varindar*  
Advocate for  
Chhatisgarh Mukti Morch



समस्त: श्रीमान-पुलिस-निरी, का ( १०५० )

शमथ - पत्र :-

मैं, सुमरित बाई जीजे सुरजमान, उमर ३५ साल निवासी राजीव नार, एम्प्लोयी चौक, भिमाई त्को जिला बुा निम्न कथन शमथपूर्वक करती हूँ :-

(१) यह कि मैं उपरोक्त पत्र पर निवास करती हूँ तथा इत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा की सदस्य हूँ।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा निगो जी की हत्या हो जा से उत्पन्न प्रकरणा शासन विरुद्ध घन्टकीत शाह पूर्व अन्य माननीय विदतीय अतिरिक्त सब जाणाधीश के सच्चा विचारणा के लिये लिखित है।

(३) यह कि इत्तीसगढ़ डीन में विशेषकर भिमाई औद्योगिक डीन में स्थित कारखानों के मालिकों उदारा मजदूरों के अमाननीय शोषण रोकने हम मजदूरों को संगठित करने वाला शहीद निगो को हत्या से मुर्दाधित होने के कारण उपरोक्त प्रकरणा मेरे लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है।

(४) यह कि उपरोक्त प्रकरणा की सुन्वाई बंद करके में चलाने के अदालतीय आदेश से मुझे निनाशा हुई थी लेकिन उक्त अदालत के आदेश उदारा प्रकरणा की सुन्वाई पुनः उल्ला अदालत में चलने से न्याय सिद्धि को मेरे उम्मीद मजबूत हुई है।

(५) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में अज्ञात दिनांक २४-५-६५ को उक्त प्रकरणा की सुन्वाई होने पर मैं भी अदालत कक्षा में उपस्थित हुआ था, जहाँ मैंने पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के आरोपण अदालत की देवी पर बंधे हुए हैं एवं मुस्लिम कटघरा ( Accused Boy ) खाली था, जबकि इत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के सदस्य अनेक मजदूर और यहाँ तक कि वकील महोदा लोग भी लड़े थे।

(६) यह कि चाय की लुट्टी के बाद अदालतीय कार्यवाही शुरू होने पर मैं अदालत कक्षा में खड़ी गई देव पर बंध गया था एवं मुझे अभियुक्तानों व पुलिस की मदद से नीचे उठाने के लिये देव से उठा दिया गया।

(७) यह कि उक्त प्रकरणा की सुन्वाई के दौरान अधिवक्ताओं एवं इत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के मुर्दाधित मजदूर साधियों को अदालत कक्षा में बंधने की अवस्था हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्पन्न में यथा शमथ-पत्र प्रस्तुत है।

शमथकर्ता,

सत्यापन :- मैं, सुमरित बाई जीजे सुरजमान, सत्यापित करती हूँ कि शमथ-पत्र की कण्डिका १ से ७ तक के सम्स्त कथन मेरा जानकारी से सच हैं, अतः आज दिनांक २४-५-६५ को पञ्जा, सम्भर कर अपना अज्ञान में कर दिया।

शमथकर्ता

मैं शमथकर्ता को पञ्जा-स्तुत हूँ।

*Sanjiv*  
Sanjiv

शमथकर्ता  
*Sanjiv*

शपथ कती

श्री. डी. सुमरित्तल

प्रमाण कती

श्री. सुमरित्तल अर्ज  
श्री. सुमरित्तल अ.स.स.स.

श्री. सुमरित्तल अ.स.स.स.

24/5/95


*D. Samyaji*

D. Samyaji  
Advocate

S. P. Deyraal

24/5/95





सम्पत्तः श्रीमान् पब्लिक नोटरी, दुर्ग ( म.प्र. )

:- शपथ - पत्र :-

मैं राममरौसा आत्मज गयाराम, उम्र ३४ साल, साक्षिण कुर्द, तस्वील व जिला दुर्ग निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करता हूँ :-

(१) यह कि मैं उपरोक्त पत्र पर निम्नलिखित करता हूँ तथा हत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के सदस्य हूँ।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा नियोगि जी की हत्या ही जान से उत्तमन्न प्रकरण शासन विरुद्ध चन्दाकारित शाह पूर्व अथ माननीय विधायक अतिरिक्त सत्र आयाधीश के सम्पत्त विचारण के लिये लीखत है।

(३) यह कि हत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेषकर भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों के मालिकों उदार मजदूरों के अमाननीय शोषण रोकने हम मजदूरों को संगठित करने वाला शहीद नियोगि जी हत्या से संबंधित होने के कारण उपरोक्त प्रकरण में लिये तथा आम जनता के लिये अतिरिक्तपूर्ण है।

(४) यह कि उपरोक्त प्रकरण की सुन्वाई बंद करके मैं चलाने के अदालतिय आदेश से मुझे निराशा हुई थी लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश उदार प्रकरण की सुन्वाई पुनः सुली अदालत में चलने से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें मजबूत हुई है।


(५) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में अंग्रेज दिनांक २४-५-६५ को उक्त प्रकरण की सुन्वाई होने पर मैं भी अदालत कक्षा में उपस्थित हुआ था, जहाँ मैंने पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के आरोपीगण अदालत की बेंचों पर बैठे हुए हैं एवं मुस्लिम कटघरा ( *accused Boy* ) खाली था जबकि हत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सदस्य अनेक मजदूर और यहाँ तक कि वकील महीन्द्र लोग भी लड़े थे।

(६) यह कि जाय की छुट्टी के बाद अदालतिय कार्यवाही शुरू होने पर मैं अदालत कक्षा में रसीद गह बेंच पर बैठ गया था एवं मुझे अभिमुक्तगणों व पुलिस कर्मियों को धकाने के लिये बेंच से उठा दिया गया।

(७) यह कि उक्त प्रकरण की सुन्वाई के दौरान अधिकतम अर्थ हत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के संबंधित मजदूर साथियों की अदालत कक्षा में बैठने की व्यवस्था से पुस्तक आवेदन के संदर्भ में यह शपथपत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

सत्यापन :- मैं राममरौसा आत्मज गयाराम, उम्र ३४ साल, साक्षिण कुर्द, तस्वील व जिला दुर्ग निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करता हूँ कि शपथपत्र को काण्डा नं. ७ तालुके जवन गेरी आवासीय में रसिद है, २४ अंग्रेज दिनांक २४-५-६५ को पढ़कर, सम्पत्त कर अपना हस्ताक्षर, दुर्ग में कर दिया।



श्रीमत्प्रसाद

21/1/95

श्रीमत्प्रसाद  
पता का नाम श्रीमत्प्रसाद 323

को श्रीमत्प्रसाद उपाधी

पता 24/5/95

S. P. Agrawal

24/5/95



अध्यापक

D. Sanjivani

D. Sanjivani

Advocate





सुद्धा: श्रीमान् प्रिन्सिपल जज, उम्साबा (मध्य)

शपथ - पत्र :-

मैं, उम्साबा जज जीजे शुकून, उम्साबा 32 साल निगरानी एकादशी चौक, भिलाई तहसील पजिला पूर्वा निम्नलिखित शपथपूर्वक करती हूँ :-

(1) यह कि मैं उपरोक्त पत्र पर निरास करती हूँ तथा छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा को सक्ष्य हूँ।

(2) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा निगोरी जी की हत्या हो जाने से उत्तम प्रकार का शासन विरुद्ध चन्द्रशेखर शाह एवं अन्य माननीय विद्वतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारण के लिये लिखित है।

(3) यह कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेषकर भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों के मालिकों द्वारा मजदूरों के अमानवीय शोषण रोकने हम मजदूरों को संगठित करने वाला शहीद निगोरी जी की हत्या से संबंधित होने के कारण उपरोक्त प्रकरण में लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है।

(4) यह कि उपरोक्त प्रकरण को सुन्वाई बंद कर्मों में चलाने के अदालतीय आदेश से मुझे निराशा हुई थी लेकिन उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा प्रकरण की सुन्वाई पुनः सुली अदालत में चलने से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें मजबूर हुई हैं।

(5) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में अज्ञेय दिनांक 28-4-64 को उक्त प्रकरण की सुन्वाई होने पर मैं भी अदालत कक्षा में उपस्थित हुआ था, जहाँ मैंने पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के आरोपण अदालत की बेंचों पर बैठे हुए हैं एवं मुस्लिम कटघरा (accused Box) खाली था, जबकि छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के सक्ष्य अनेक मजदूर और यहाँ तक कि वकील महोदय लोग भी खड़े थे।

(6) यह कि चाय की बुरी के बाद अदालतीय कार्यवाही शुरू होने पर मैं अदालत कक्षा में रसी गह बेंच पर बैठ गया था एवं मुझे अभिवृत्तियों व पुलिस कर्मियों को बंधाने के लिये बेंच से उठा दिया गया।

(7) यह कि उक्त प्रकरण को सुन्वाई के दौरान अधिवक्ताओं एवं छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के संबंधित मजदूर साक्षियों की अदालत कक्षा में बैठने की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में यह शपथ-पत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ता, उम्साबा

सत्यापन :- मैं उम्साबा जज जीजे शुकून, सत्यापित करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 7 तक के कथन सही जानकारी से सही है, त्तः आज दिनांक 28-4-64 को उम्साबा, सम्मिलित अपना हस्ताक्षर, वा. में कर दी।

शपथकर्ता,

मैं शपथकर्ता को पहचानता हूँ।

Handwritten signature

Handwritten signature



श्री १५५५५५५५

~~२५५५५५५५~~ M  
SIR

१५५५५५५५

श्री १५५५५५५५  
श्री १५५५५५५५  
श्री १५५५५५५५  
श्री १५५५५५५५  
श्री १५५५५५५५  
श्री १५५५५५५५  
श्री १५५५५५५५  
श्री १५५५५५५५  
श्री १५५५५५५५  
श्री १५५५५५५५

~~Sanjivini~~  
D. Sanjivini  
Advocate

S.P. Dgrawal  
Advocate  
24/5/95

24/5/95





सम्झा: श्रीमान् पब्लिक नोटरी, का (मपप)

:- शपथ-पत्र :-

मैं माना दाह जीजे काशीराम, उम्र ३५ साल निवासी घासोदार नगर

जामुन तख्सेरल व जिला का निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक कथन करती हूँ :-

(१) यह कि मैं उपरोक्त पत्र पर निवास करती हूँ तथा हत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा की सदस्य हूँ।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद रंकर गुहा निगोरी जी को हत्या हो जाने से उत्पन्न प्रकरण शासन विरुद्ध चन्द्रकीत राह एवं अन्य माननीय विद्वतीय आतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सम्झा विचारण के लिये लंबित है।

(३) यह कि हत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेषकर भिसाह औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों के मालिकों व दार मजदूरों के अमाननीय शोषण रोकने हम मजदूरों को संगठित करने वाला शहीद निगोरी जी हत्या से संबंधित होने के कारण उपरोक्त प्रकरण में लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है।

(४) यह कि उपरोक्त प्रकरण की सुन्वाई बंद करी में चलाने के अदालतीय आदेश से मुझे निराशा हुई थी लेकिन उक्त न्यायालय के आदेश वदारा प्रकरण की सुन्वाई पुनः खुली अदालत में चलने से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें मजबूत हुई है।

(५) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में <sup>10</sup>दिनांक २३-५-६५ को उक्त प्रकरण की सुन्वाई होने पर मैं भी अदालत कक्षा में उपस्थित हुआ था, जहाँ मैंने पाया कि हमारे महान नेता को हत्या के आरोपण अदालत का बेधी पर बैठे हुए हैं एवं मुसलमान कटपरा (accused Box) वाली था, जबकि हत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के सदस्य अनेक मजदूर और यहाँ तक कि वकील म्हीका लोग भी लड़े थे।

(६) यह कि वाय को छुट्टी के बाद अदालतीय कार्यवाही शुरू होने पर मैं अदालत कक्षा में रली गई बेच पर बैठ गया था एवं मुझे अभ्युक्ताओं व पुलिस कर्मियों को बंधाने के लिये बेच से उठा दिया गया।

(७) यह कि उक्त प्रकरण की सुन्वाई के दौरान अधिवक्ताओं एवं हत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के संबंधित मजदूर साथियों को अदालत कक्षा में बंधने की व्यवस्था हेतु प्रहृत आवेदन के समर्थन में यह शपथ-पत्र प्रस्तुत है।

सत्यापन :- मैं माना दाह जीजे काशीराम, सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र को कठिडका २ से ७ तक के कथन में जायकारों से सजें है, अतः आज दिनांक २३-५-६५ को पढ़ाया, समझाया जाना <sup>अंगूठा निशान</sup> सुनिश्चित है।

मैं शाश्वत को पढ़ाता हूँ।

*Handwritten signature and text at the bottom left.*

*Handwritten signature and text in the middle right.*

*Handwritten signature and text at the bottom right.*

शिवच अग्रवाल  
Advocate

वदयान अग्रवाल

परिष्कारना कार्य  
परिष्कारना कार्य  
कडरीराय  
कार्य  
24/5/95

D. Sanjivani  
Advocates

S. P. Agrawal  
24/5/95





सम्झा: श्रीमान् जालकान्तरि, वा (मधु)

शपथ - पत्र :-

मैं, कुतारी बाई जीजे बलदाऊ, उम्र ३० साल साकिन घासीदास नार, मिलाह तल्ली व जिला का की हूँ जो कि नीचे लिखे निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करता हूँ :-

(१) यह कि मैं उपरोक्त पत्र पर निम्नस करता हूँ तथा छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा की सदस्य हूँ ।

(२) यह कि हमारे नेता शहीद शंकर गुहा नियोगी जी की हत्या हो जाने से उत्तमन प्रकरण शासन विरुद्ध चन्द्रकांत शाह एवं अन्य माननीय विद्वतीय आतिरिक्त सत्र न्यायाधिश के सम्झा विचारण के लिये लीबत है ।

(३) यह कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेषकर भिलाह आंधांगिक क्षेत्र में स्थित जारखानों के मालिकों द्वारा मजदूरों के अमानवीय शेषण रोकने हम मजदूरों को संगठित करने वाला शहीद नियोगी जी हत्या से संबंधित होने के कारण उपरोक्त प्रकरण में लिये तथा आम जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है ।

(४) यह कि उपरोक्त प्रकरण को सुन्नाह बंद कर्मों में चलाने के अदालतीय आदेश ने मुझे निराशा हुई थी लेकिन उक्त न्यायालय के आदेश उदारा प्रकरण की सुन्नाह पुनः खुली अदालत में चलने से चाय मिलने की मेरी उम्मीद मजबूत हुई है ।

(५) यह कि उपरोक्त परिस्थिति में आज दिनांक २४-५-६५ को उक्त प्रकरण की सुन्नाह होने पर मैं भी अदालत कक्षा में उपस्थित हुआ था, जहाँ मैंने पाया कि हमारे महान नेता की हत्या के आरोपण अदालत की बेंचों पर बैठे हुए हैं एवं मुस्लिम बटवारा (accused boy) खाली था, जबकि छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के सदस्य अनेक मजदूर और यही तब कई वकील महीध लोग भी रहे थे ।

(६) यह कि चाय की छुट्टी के बाद अदालतीय कायवाही शुरू होने पर मैं अदालत कक्षा में रती गई बेंच पर बैठ गया था एवं मुझे अभिमुन्यता व पुलिस कायों को बंधाने के लिये बेंच से उठा दिया गया ।

यह कि उक्त प्रकरण को सुन्नाह के दौरान अधिकताओं एवं छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा के संबंधित मजदूर साथियों को अदालत कक्षा में बंधने की व्यवस्था के तहत प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में यह शपथपत्र प्रस्तुत है ।

सुत्यापन :- मैं कुतारी बाई जीजे बलदाऊ, सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र की कठिणका २ से ७ तक के कथन मेरी जानकारी से सही है, अतः आज दिनांक २४-५-६५ को पढ़कर, समझ कर अपना हस्ताक्षर, मुझे करवा ।

मैं शपथता को पहचानता हूँ ।

(D. Samji) Advokat

सुम्झा नारायण  
३०/५/६५

शपथता, सुम्झा नारायण  
३०/५/६५



शुभचकार



अ. गि. शुभचकार

आतडुलारी वारा  
प्रतिभा ३  
अलदाउ  
दारी दार गम  
पुस्तक लिखा

श्री. संजीवी रत्निका

प. शांगवारा

24/5/95

S. P. Agrawal

Sanjivi  
(D. Sanjivi  
Adv.)

24/5/95

